**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न संख्या – 5122**

***सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)***

**राज्यों को धनराशि जारी करना**

**5122. श्री डी. के. सुरेशः**

**श्रीमती सुमलता अम्बरीशः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों को 1.59 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राशि में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (घ): संसद द्वारा अधिनियमित वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7(2) के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य को देय मुआवजे की अनंतिम गणना की जाएगी और उसे प्रत्येक दो महीने की अवधि के अंत में जारी किया जाएगा, और अंतिम रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाएगी।

जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए लंबित जीएसटी मुआवजे और भविष्य की कार्रवाई के मुद्दे पर 41वीं और 43वीं जीएसटी परिषद की बैठकों में चर्चा की गई। तदनुसार, केंद्र सरकार ने एक विशेष विंडो का उपयोग करके राज्यों को भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे में कमी को पूरा करने के लिए उधार लेने का निर्णय लिया। स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपये और 1.59 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी भारत सरकार द्वारा उधार ली गयी और वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी मुआवजा कम जारी करने के एवज में राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिए गए। इस विशेष विंडो के तहत, कर्नाटक राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में क्रमशः 12,407 करोड़ रुपये और 18,109 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। इसके अलावा, केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कर्नाटक राज्य सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा कोष से क्रमशः 1,86,790 करोड़ रुपये और 75,209 करोड़ रुपये की अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की है।

*****